995 एससीसी ऑनलाइन पी & एच 815 : आईएलआर (1996) 2 पी एंड एच 27 : (1995)

5 एसएलआर 591 (डीबी)

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय

(जीएस सिंघवी और टीएचबी चलपति, जेजे से पहले)

ओम प्रकाश... याचिका

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य ... उत्तरदाताओं।

1995 का सी.डब्ल्यू.पी. नंबर 1077

3 अगस्त 1995 को हुआ फैसला

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226/227 - नियुक्ति - 11 सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों की नियुक्ति के लिए 28 पात्र उम्मीदवारों की 1982 में तैयार चयन सूची - 1982 में बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर 1995 में मांगी गई नियुक्ति - मुख्य सूची की वैधता और कार्यकाल और विलाप सूची छह महीने होगी - इसके बाद कोई रिक्ति नई नियुक्ति करके भरी जानी है।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए विभिन्न सेवा नियमों में हरियाणा लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा तैयार की गई चयन सूची या पैनल के कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने इस विषय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं।

(सेवा 11)

इस विषय पर अंतिम परिपत्र 28 अक्टूबर, 1993 को जारी किया गया था और यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग मुख्य सूची के साथ एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगा और मुख्य सूची की वैधता छह महीने के लिए होगी और प्रतीक्षा सूची भी छह महीने तक जीवित रहेगी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए ये परिपत्र प्रशासनिक स्वरूप के होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों के साथ किसी भी तरह से असंगत नहीं हैं और इसलिए, ये परिपत्र लोक सेवा आयोग के साथ-साथ बोर्ड के लिए भी बाध्यकारी हैं।

(सेवा 11)

भारत का संविधान - अनुच्छेद 226 - चयन सूची के आधार पर नियुक्ति - 11 विज्ञापित पदों के लिए 28 उम्मीदवारों की तैयार सूची - चयन सूची अवैध - सूची तैयार करने के 12 साल से अधिक की अवधि के बाद नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं।

माना गया कि बोर्ड ने 11 विज्ञापित रिक्तियों के लिए 28 उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में एक पेटेंट अवैधता की है। याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के किसी भी नियम या आदेश को रिकॉर्ड पर नहीं रखा है जो बोर्ड को एक चयन सूची तैयार करने के लिए अधिकृत करता है जो विज्ञापित रिक्तियों से लगभग 200 गुना अधिक थी। इसलिए, अवैध रूप से तैयार चयन सूची के आधार पर, याचिकाकर्ता नियुक्ति के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और वह भी चयन सूची तैयार होने के 12 साल से अधिक की अवधि के बाद।

(सेवा 19)

याचिकाकर्ता के वकील सीएम चोपड़ा।

आरएन, डिप्टी एडवोकेट जनरल, हरियाणा, हरियाणा राज्य के लिए।

आदेश

न्यायमूर्ति जीएस सिंघवी : इस रिट याचिका में जिस विचारणीय प्रश्न पर निर्णय की आवश्यकता है वह यह है कि क्या अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा (संक्षेप में, बोर्ड) द्वारा वर्ष 1982 में किए गए चयन के आधार पर वर्ष 1995 में सहायक खाद्य और आपूर्तिकर्ता अधिकारी के पद पर नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक रिट जारी की जा सकती है।

2. 11 सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों की भर्ती के लिए बोर्ड द्वारा जारी एक विज्ञापन के जवाब में, याचिकाकर्ता ने अन्य व्यक्तियों के साथ आवेदन किया था। बोर्ड ने पात्र उम्मीदवारों का साक्षात्कार लिया और 28 नामों वाली एक चयन-सूची तैयार की। याचिकाकर्ता को चयन-सूची में क्रम संख्या 27 पर रखा गया था।

3. अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को अग्रेषित चयन-सूची के आधार पर वर्ष 1982 में 11 उम्मीदवारों (सामान्य श्रेणी के 6, अनुसूचित जाति के 2, भूतपूर्व सैनिकों की श्रेणी के 2 और पिछड़ा वर्ग के एक) की नियुक्ति की गई थी। दिसंबर 1982 और जनवरी 1983 में सामान्य श्रेणी से संबंधित दो और उम्मीदवारों को नियुक्त किया गया था। सरकार द्वारा 31 मई, 1985 तक चयन-सूची को पुन वैध करने पर सहमत होने के बाद वर्ष 1985

में तीन और व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई। इस तरह 11 विज्ञापित रिक्तियों के सापेक्ष 16 चयनित व्यक्तियों को नियुक्ति दी गई। तत्पश्चात्, सरकार ने दिनांक 17 मार्च, 1986 (अनुलग्नक आर-2) का पत्र लिखा और शेष सूची बोर्ड को लौटा दी। रिकॉर्ड से यह भी प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा चयन-सूची की वापसी के एक वर्ष से अधिक समय के बाद, बोर्ड ने सरकार को दिनांक 6 मई, 1987 को पत्र लिखा कि रमेश सिंह, जिनका नाम चयन-सूची में क्रम संख्या 25 पर था, भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी के हैं और इसलिए, उन्हें पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के खिलाफ नियुक्त किया जाना चाहिए।

4. बोर्ड की पूर्वोक्त कार्रवाई ने मुकदमेबाजी की एक श्रृंखला को जन्म दिया। आजाद सिंह ने 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 3504 दायर की, जिसमें इस आधार पर नियुक्ति का दावा किया गया कि उनसे कम योग्यता वाले व्यक्तियों, अर्थात् रमेश सिंह और नरिंदर कुमार को उनकी उम्मीदवारी की अनदेखी करके नियुक्त किया गया है। उस रिट याचिका को 26 मार्च, 1991 को एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और सरकार को एक रिक्ति के खिलाफ आजाद सिंह को नियुक्त करने का निर्देश दिया गया था जो न्यायालय के आदेश के तहत आरक्षित थी। उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने 31 मई, 1991 को आदेश जारी किया (अनुबंध पी -4)। राम करण (जिनका नाम सीनियर नंबर 21 में था) द्वारा दायर 1989 की सिविल रिट याचिका संख्या 9547 को भी 9 जनवरी, 1992 को इस न्यायालय के एक विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा अनुमति दी गई थी और सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के रूप में उनकी नियुक्ति के लिए एक निर्देश दिया गया था। न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने राम करण की नियुक्ति के लिए 3 सितंबर, 1992 को आदेश (अनुबंध पी -6) जारी किया। दो व्यक्तियों की सफलता से उत्साहित होकर मदन गोपाल मार्या ने 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 6524 और नाथू राम ने 1992 की सिविल रिट याचिका संख्या 10773 दायर की। उनके नाम चयन-सूची

में क्रमशः क्रम संख्या 12 और 22 पर थे। इन दोनों याचिकाओं को 29 अप्रैल, 1994 को एकल न्यायाधीश द्वारा स्वीकार कर लिया गया था और उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में, प्रतिवादी संख्या 2 ने उन दो याचिकाकर्ताओं को नियुक्त करने के आदेश जारी किए थे।

5. याचिकाकर्ता ने भी इस न्यायालय के निर्णयों से प्रोत्साहित महसूस किया और इसलिए, वर्ष 1994 में किसी समय उन्होंने वर्ष 1982 में किए गए चयन के आधार पर अपनी नियुक्ति के लिए प्रतिवादियों को अभ्यावेदन (अनुलग्नक पी -9) दिया। प्रतिवादियों से अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त करने में विफल रहने के बाद, याचिकाकर्ता ने यह याचिका दायर की है और प्रतिवादियों को परिणामी लाभों के साथ सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए परमादेश जारी करने की प्रार्थना की है।

6. प्रतिवादियों द्वारा रिट याचिका का विरोध इस आधार पर किया गया है कि सरकार द्वारा सूची की वापसी के बाद, दिनांक 7 मार्च, 1986 के पत्र के *माध्यम से,* याचिकाकर्ता को वर्ष 1995 में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतिवादियों ने स्वीकार किया है कि विभिन्न रिट याचिकाओं में उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के आधार पर, सर्वश्री आजाद सिंह, राम करण, मदन गोपाल मार्या और नाथू राम, जिनके नाम क्रमशः क्रम संख्या 10, 21, 12 और 22 में दिखाई दिए थे, को नियुक्त किया गया है। हालांकि, याचिकाकर्ता के मामले को अत्यधिक देरी के आधार पर और इस आधार पर भी चुनौती दी जा रही है कि याचिकाकर्ता, जो क्रम संख्या 27 में नीचे दिखाई देता है, को वर्ष 1982 में प्रतिवादी-बोर्ड द्वारा किए गए चयन के आधार पर सेवा में नियुक्त होने का कोई कानूनी या संवैधानिक अधिकार नहीं है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील श्री चोपड़ा द्वारा आग्रह किया गया एकमात्र तर्क यह है कि जब उच्च न्यायालय ने प्रतिवादियों को नियुक्त करने का निर्देश देकर चार याचिकाकर्ताओं को

राहत दी है, तो याचिकाकर्ता को भी इसी तरह की राहत दी जानी चाहिए। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि जब सरकार ने वर्ष 1994 में ही चयन-सूची पर कार्रवाई की है, तो याचिकाकर्ता विद्वान वकील को नियुक्ति से इनकार करने का कोई कारण नहीं हो सकता है, जो ***सुश्री आशा कौल* बनाम *जम्मू और कश्मीर राज्य***[1] सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करता है। दूसरी ओर, श्री राजीव रैना ने तर्क दिया कि वर्ष 1982 में बोर्ड द्वारा तैयार की गई चयन-सूची को वर्ष 1995 में जीवित नहीं माना जा सकता है और इसलिए, याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय द्वारा कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने तर्क दिया कि वर्ष 1983 और 1984 के बाद से उपलब्ध रिक्तियों के संबंध में, उन वर्षों में पात्र होने वाले उम्मीदवारों को रोजगार के लिए विचार करने का संवैधानिक अधिकार था और इसलिए, वर्ष 1995 में उनकी नियुक्ति के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में कोई निर्देश नहीं दिया जाना चाहिए।

8. बहस के दौरान, हमने पक्षकारों के विद्वान वकील से पूछा कि बोर्ड द्वारा विज्ञापन जारी होने के बाद सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों के कैडर में कितनी रिक्तियां उपलब्ध हो गई हैं, लेकिन उनमें से कोई भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका। बेशक, श्री चोपड़ा ने कहा कि सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों के कैडर में रिक्तियां वर्ष 1990 और उसके बाद उपलब्ध हो गई हैं और तथ्य यह है कि इस न्यायालय द्वारा वर्ष 1991, 1992 और 1994 में पारित आदेशों का प्रतिवादियों द्वारा अनुपालन किया गया है, यह स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों के कैडर में रिक्तियां नियमित रूप से उपलब्ध हो रही हैं।

9. सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पद पर भर्ती हरियाणा खाद्य एवं आपूर्ति विभाग उप-कार्यालय (समूह सी) सेवा नियम, 1982 में निहित प्रावधानों द्वारा विनियमित की जाती

---

[1] 1993 (2) एसएलआर 560।

है, जिसे हरियाणा के राज्यपाल द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिनियमित किया गया है। इन नियमों के नियम 2 में "सीधी भर्ती" सहित विभिन्न शब्दों की परिभाषाएं शामिल हैं। नियम 3 पदों की संख्या और चरित्र निर्दिष्ट करता है। नियम 5 सीधी भर्ती के लिए उम्र को संदर्भित करता है। नियम 6 कहता है कि खाद्य और आपूर्ति विभाग, हरियाणा के निदेशक नियुक्ति प्राधिकारी होंगे। नियम 7 सीधी भर्ती या स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए योग्यता को निर्दिष्ट करता है। नियम 8 अयोग्यता की बात करता है। नियम 9 में भर्ती के तरीके शामिल हैं। नियम 9 (1) (सी) के अनुसार, सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के पद पर भर्ती 67:33 के अनुपात में पदोन्नति और सीधी भर्ती द्वारा की जाती है। सीधी भर्ती के लिए, एक व्यक्ति के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री और मैट्रिक मानक की हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। नियम 9 (3) में कहा गया है कि जब सेवा में कोई रिक्ति होती है या होने वाली होती है, तो नियुक्ति प्राधिकारी उस तरीके का निर्धारण करेगा जिसमें इसे दायर किया जाना है। नियम 10 परिवीक्षा की बात करता है जबकि नियम 11 वरिष्ठता से संबंधित है। नियम 12 के अनुसार सेवा के किसी सदस्य को हरियाणा राज्य के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर सेवा करने की आवश्यकता होती है। अन्य नियमों में सामान्य प्रावधान हैं जो विवाद में विषय-वस्तु के लिए प्रासंगिक नहीं हैं।

10. नियमों के उपर्युक्त विश्लेषण से पता चलता है कि यद्यपि सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी के पद को पदोन्नति के साथ-साथ सीधी भर्ती द्वारा 67:33 के अनुपात में भरा जाना आवश्यक है, 1982 के नियम उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट नहीं करते हैं जिसका सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति करने के लिए पालन किया जाना आवश्यक है। तथापि, दोनों पक्ष इस बात से सहमत हैं कि सीधी भर्ती द्वारा नियुक्ति बोर्ड की सिफारिश पर की जानी अपेक्षित है।

11. भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत हरियाणा के राज्यपाल द्वारा बनाए गए विभिन्न सेवा नियमों में हरियाणा लोक सेवा आयोग और अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा द्वारा तैयार की गई चयन-सूची या पैनल के कार्यकाल के बारे में कोई प्रावधान नहीं है। इस कमी को दूर करने के लिए हरियाणा सरकार ने इस विषय पर विभिन्न परिपत्र जारी किए हैं। दिनांक 27 मई, 1972 को जारी किए गए एक ईयरलिस्ट परिपत्र में संयुक्त पंजाब सरकार द्वारा 22 मार्च, 1955 को जारी किए गए पूर्व परिपत्र का उल्लेख किया गया है और कहा गया है कि सिफारिश प्राप्त होने के छह महीने के भीतर उपलब्ध होने वाली अतिरिक्त रिक्तियों के विरुद्ध नियुक्ति करने के लिए आयोग/बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और उसके बाद उत्पन्न होने वाली रिक्तियों को नए सिरे से चयन करके भरा जाएगा। दिनांक 26 मई, 1972 के परिपत्र को दिनांक 8 सितम्बर, 1972 के एक अन्य परिपत्र द्वारा स्पष्ट किया गया था। सरकार ने दोहराया कि आयोग या बोर्ड को पांच अतिरिक्त उम्मीदवारों के नाम भेजने चाहिए, जिनमें से तीन खुले बाजार से और एक अनुसूचित जाति से और एक उम्मीदवार पूर्व सैनिक से संबंधित होना चाहिए। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि यदि किसी उम्मीदवार की उम्मीदवारी को सरकार द्वारा इस आधार पर खारिज कर दिया जाता है कि उसने नियुक्ति आदेश के अनुसरण में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है और यदि पांच अतिरिक्त नामों में से किसी अन्य उम्मीदवार को नियुक्त करने की आवश्यकता है, तो मामले को सामान्य प्रशासन विभाग में मुख्य सचिव को भेजा जाना चाहिए और मुख्य सचिव से अनुमति प्राप्त होने के बाद ही नियुक्ति आदेश जारी किया जाना चाहिए। 20 जनवरी, 1988 को हरियाणा सरकार के मुख्य सचिव ने सचिव, अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा को पत्र संख्या 42/43/84-5 जीएसआई को संबोधित किया और स्पष्ट किया कि बोर्ड 25 प्रतिशत रिक्तियों की संख्या 25 प्रतिशत तक होने की स्थिति में, 25 से 30 के बीच की रिक्तियों के लिए 15 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची और 50 से अधिक रिक्तियों के लिए 10 प्रतिशत की प्रतीक्षा सूची तैयार करेगा। सरकार ने यह भी निर्णय लिया कि मुख्य सूची के

साथ-साथ प्रतीक्षा-सूची सिफारिशों की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध रहेगी। सरकार ने यह भी निर्धारित किया कि बोर्ड को अपनी सिफारिशों में मुख्य सूची में शामिल उम्मीदवारों की संख्या के साथ-साथ प्रतीक्षा-सूची में शामिल उम्मीदवारों की संख्या का भी उल्लेख करना चाहिए। इस विषय पर अंतिम परिपत्र 28 अक्तूबर, 1993 को जारी किया गया था और यह स्पष्ट किया गया है कि आयोग मुख्य सूची के साथ एक प्रतीक्षा-सूची भी तैयार करेगा और मुख्य सूची की वैधता छह महीने के लिए होगी और प्रतीक्षा सूची भी छह महीने तक जीवित रहेगी। हरियाणा सरकार द्वारा जारी किए गए ये परिपत्र प्रशासनिक स्वरूप के होते हुए भी संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक के तहत बनाए गए नियमों के साथ किसी भी तरह से असंगत नहीं हैं और इसलिए, ये परिपत्र लोक सेवा आयोग के साथ-साथ बोर्ड के लिए भी बाध्यकारी हैं। इसलिए, 11 विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ 28 उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में बोर्ड के कार्य को पूरी तरह से अवैध और मनमाना नहीं कहा जा सकता है और चयन-सूची में क्रम संख्या 27 पर याचिकाकर्ता का नाम शामिल करने से याचिकाकर्ता को सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारी के पद पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं मिल सकता है।

12. हमारी यह भी राय है कि सरकारी परिपत्रों के संदर्भ में, बोर्ड पांच उम्मीदवारों की प्रतीक्षा-सूची तैयार कर सकता था और उससे अधिक नहीं और सभी उम्मीदवार, जिनका नाम सूची में क्रम संख्या 16 से नीचे था, ने सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों के पदों पर नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं किया, जो वर्ष 1984 और उसके बाद से उपलब्ध हो गया।

13. भले ही हम 28 उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में बोर्ड द्वारा की गई पेटेंट त्रुटि को अनदेखा करें, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता, जिसका नाम सूची में सीनियर नंबर 27 पर आया था, सर्वश्री आजाद सिंह द्वारा दायर चार रिट याचिकाओं में इस न्यायालय के विद्वान

एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित आदेशों से कोई लाभ प्राप्त नहीं कर सकता है। रामी करण, मदन गोपाल मर्या और नाथू राम। उन सभी याचिकाओं पर केवल इस आधार पर फैसला किया गया था कि विभाग ने रैंकिंग-सूची में रमेश सिंह और नरिंदर कुमार से ऊपर रखे गए याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी की अनदेखी करके मनमाने ढंग से काम किया था और उन उम्मीदवारों को नियुक्ति देते समय, विभाग ने याचिकाकर्ताओं की उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया था। जहां तक याचिकाकर्ता का संबंध है, वह यह नहीं दिखा पाया है कि रैंकिंग-सूची में उसके नीचे रखे गए किसी व्यक्ति को सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। इस प्रकार, भेदभाव की दलील याचिकाकर्ता के लिए यह दावा करने के लिए उपलब्ध नहीं है कि कानून के समक्ष समानता के उसके अधिकार का उल्लंघन किया गया है। अन्यथा भी, हमारी राय है कि याचिकाकर्ता केवल *इसलिए परमादेश* रिट जारी करने का हकदार नहीं है क्योंकि अन्य याचिकाकर्ताओं के मामलों में, इस न्यायालय ने नियुक्ति के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीशों के तीन निर्णयों में से किसी में भी इस मुद्दे की चयन-सूची की वैधता के दृष्टिकोण से जांच नहीं की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि उन मामलों में प्रतिवादियों ने यह तर्क नहीं दिया कि चयन-सूची तैयार करने के लगभग एक दशक या उससे अधिक समय बीत जाने के बाद, नियुक्ति का आदेश याचिकाकर्ताओं के पक्ष में जारी नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस तरह के आदेश से अन्य पात्र व्यक्तियों में निहित विचार के अधिकार का अतिक्रमण होगा। यह भी प्रतीत होता है कि विद्वान एकल न्यायाधीशों के समक्ष कोई तर्क नहीं दिया गया था कि हरियाणा सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार केवल 5 व्यक्तियों के नाम प्रतीक्षा सूची में शामिल किए जा सकते हैं। इसलिए, श्री चोपड़ा ने जिन तीन आदेशों पर भरोसा किया है, उन्हें कानून का एक प्रस्ताव निर्धारित करने के रूप में नहीं माना जा सकता है कि भले ही बोर्ड ने सरकारी परिपत्रों द्वारा निर्धारित सीमा से कहीं अधिक प्रतीक्षा-सूची तैयार करने में अवैधता की है और सहायक खाद्य और आपूर्ति अधिकारियों के संवर्ग में रिक्तियां चयन-सूची तैयार होने के कई वर्षों बाद उपलब्ध हो गई थीं। याचिकाकर्ता

को सेवा में नियुक्त होने का अधिकार था। विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित तीन आदेशों को इस तरह से पढ़ना उन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत बना देगा। हमारे विचार में, विद्वान एकल न्यायाधीशों द्वारा पारित तीन आदेशों को उन मामलों के तथ्यों तक ही सीमित होना चाहिए और इसका कोई उदाहरण मूल्य नहीं हो सकता है।

14. *बबीता प्रसाद* बनाम *बिहार राज्य*[2], उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जहां शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक चयन-सूची तैयार की गई थी। इस चयन-सूची को उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। पहले से की गई नियुक्ति में कोई छेड़छाड़ न करते हुए हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को आगे की नियुक्ति करने से रोक दिया। उच्च न्यायालय के आदेशों के अनुसरण में, सरकार ने मौजूदा सूची के आधार पर नियुक्तियों पर रोक लगाने के लिए परिपत्र जारी किया। जिन लोगों के नाम चयन सूची में शामिल थे, उन्होंने सरकार के फैसले को चुनौती दी और सुप्रीम कोर्ट के समक्ष रिट याचिका भी दायर की। हरियाणा *राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह*[3], *मिस नीलिमा शांगला बनाम हरियाणा राज्य*[4], *शंकरसन दास* बनाम हरियाणा *भारत संघ*[5], अपने पूर्व निर्णयों का संदर्भ देने के बाद उच्चतम न्यायालय ने कहा कि

> "इस मामले में पैनल बहुत लंबा था और इसका उद्देश्य भविष्य की पीढ़ियों को दशकों तक अनिश्चित काल तक चलने से रोकना था, जो बहुत बाद में उत्पन्न होने वाली रिक्तियों पर विचार नहीं किया जा सकता था। वास्तव में, भविष्य की पीढ़ियों को लंबे समय तक बाहर रखा गया होता अगर पैनल को समाप्त होने तक प्रभावी रहने की अनुमति दी गई होती। वर्तमान मामले में तैयार किए गए प्रकार के एक पैनल को एक पैनल के साथ

---

[2] 1993 (1) एसएलआर 44.
[3] 1973 (2) एसएलआर 137।
[4] 1986 (3) एसएलआर 389।
[5] 1991 (2) एसएलआर 779।

समकक्ष नहीं किया जा सकता है, जो निकट भविष्य में और एक निश्चित समय के लिए मौजूदा रिक्तियों या प्रत्याशित रिक्तियों के सहसंबंध के साथ तैयार किया जाता है और कुछ चयन प्रक्रिया के परिणामस्वरूप तैयार किया जाता है। जैसा कि स्पष्ट है, पैनल में कुछ शिक्षकों के नाम 16 से अधिक वर्षों से मौजूद हैं। हमारी राय में इस तरह के दंड को *शंकरासन दास के मामले* (सुप्रा) में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित शिक्षकों को नियुक्त करने के लिए कोई निहित या अपरिहार्य अधिकार प्रदान करने के रूप में नहीं माना जा सकता है।

15. *होशियार सिंह* बनाम हरियाणा *राज्य*, [6]उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप ने पुलिस निरीक्षकों के 8 पदों के लिए 19 व्यक्तियों की सूची तैयार करने में अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड, हरियाणा की कार्रवाई को रद्द कर दिया। बोर्ड द्वारा तैयार की गई सूची को रद्द करते हुए, उच्चतम न्यायालय के उनके लॉर्डशिप ने कहा -

चूंकि मांग पुलिस निरीक्षक के 8 पदों के लिए थी, इसलिए बोर्ड को केवल 8 पदों के लिए अपनी सिफारिशें भेजने की आवश्यकता थी। बोर्ड स्वयं नियुक्ति के लिए 19 व्यक्तियों के नामों की सिफारिश नहीं कर सका, जबकि अधियाचन केवल 8 पदों के लिए था क्योंकि जिन पदों के लिए अधियाचन भेजा गया है, उनकी तुलना में बड़ी संख्या में व्यक्तियों का चयन और सिफारिश की गई थी। ऐसे चयन और सिफारिश के आधार पर अतिरिक्त पद पर नियुक्ति उन उम्मीदवारों को अतिरिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के अवसर से वंचित कर देगी जो विज्ञापन में उल्लिखित आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे और जो उसके बाद नियुक्ति के लिए पात्र हो गए थे, क्योंकि यदि उक्त अतिरिक्त पदों को बाद में विज्ञापित किया जाता है तो नियुक्ति

[6] 1993 (5) एसएलआर 36.

के लिए पात्र होने वाले हकदार होंगे। उसी के लिए आवेदन करें। इसलिए, उच्च न्यायालय का यह कहना सही था कि बोर्ड द्वारा 19 व्यक्तियों का चयन, भले ही मांग केवल 8 पदों के लिए थी, कानूनी रूप से टिकाऊ नहीं था।

16. *गुजरात राज्य में उप कार्यकारी अभियंता संघ* बनाम *गुजरात राज्य*[7], सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर माना कि प्रतीक्षा-सूची में शामिल उम्मीदवारों को सेवा में नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है। प्रतीक्षा-सूची की प्रकृति और इसके उद्देश्य के बारे में, उच्चतम न्यायालय ने टिप्पणी की -

"सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेवा मामले में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची पात्र और योग्य उम्मीदवारों की एक सूची है जो योग्यता के क्रम में अंतिम चयनित उम्मीदवार से नीचे रखी गई है।

एक वॉटिंग सूची को कैसे संचालित किया जाना चाहिए और इसकी प्रकृति क्या है, नियमों द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। आमतौर पर, यह चयन या परीक्षा से जुड़ा होता है जिसके लिए इसे तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए, यदि 1990 के लिए 10 उम्मीदवारों के चयन के लिए एक परीक्षा आयोजित की जाती है और सक्षम प्राधिकारी प्रतीक्षा सूची तैयार करता है तो यह केवल उन 10 सीटों के संबंध में है जिनके लिए चयन या प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। *इस तरह की सूचियां या तो नियमों के तहत या यहां तक कि अन्यथा भी तैयार की जाती हैं, मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यदि चयनित उम्मीदवार किसी न किसी कारण से शामिल नहीं होते हैं या "परीक्षा का अगला चयन जल्द ही आयोजित नहीं किया जाता है, तो कार्यालय में काम करने वालों को नुकसान न हो। इसलिए, एक बार जब चयनित उम्मीदवार शामिल हो जाते हैं और इस्तीफे आदि के कारण या किसी अन्य कारण से कोई रिक्ति उत्पन्न नहीं होती है, तो सूची को*

[7] 1994 सुप्प (2) एससीसी 591

नियमों के तहत या उचित अवधि के भीतर संचालित करना होता है, जहां कोई विशिष्ट अवधि प्रदान नहीं की जाती है, तो प्रतीक्षा सूची से उम्मीदवार को भविष्य में उत्पन्न होने वाली किसी भी रिक्ति पर नियुक्ति का दावा करने का कोई अधिकार नहीं है, जब तक कि इसके लिए चयन आयोजित नहीं किया गया था।

आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में तैयार की गई प्रतीक्षा सूची भर्ती का स्रोत प्रस्तुत नहीं करती है। यह केवल आकस्मिकता के लिए लागू है कि यदि चयनित उम्मीदवारों में से कोई भी शामिल नहीं होता है तो प्रतीक्षा सूची के व्यक्ति को इस तरह से रिक्ति में धकेल दिया जा सकता है और नियुक्त किया जा सकता है या यदि कुछ अत्यधिक आपात स्थिति होती है तो सरकार नीतिगत निर्णय के मामले के रूप में प्रतीक्षा सूची से योग्यता के क्रम में व्यक्तियों को चुन सकती है।

17. *मदन लाल बनाम* जम्मू और कश्मीर राज्य[8], सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (न्यायिक) में नियुक्ति के लिए तैयार की गई चयन सूची की वैधता से संबंधित प्रश्न पर विचार किया और यह मानते हुए कि 11 विज्ञापित रिक्तियों के खिलाफ 11 उम्मीदवारों की नियुक्ति पर चयनित उम्मीदवारों की सूची समाप्त हो गई है, सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने बिहार राज्य बनाम *मदन मोहन सिंह* [9] में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया

"जहां विवरण विज्ञापन और उसके परिणामस्वरूप चयन प्रक्रिया केवल 32 रिक्तियों को भरने के लिए थी, अन्य रिक्तियों को भरने के लिए नहीं, लिखित परीक्षा के साथ-साथ मौखिक परीक्षा के आधार पर 1:4 के *अनुपात में तैयार* की गई 129 उम्मीदवारों की *मेरिट सूची* केवल उन 32 रिक्तियों *को भरने के उद्देश्य से अच्छी होगी और आगे नहीं क्योंकि उन 32 के लिए चयन की प्रक्रिया है। रिक्तियां समाप्त हो गईं और समाप्त हो*

[8] 1995 (2) S.L.R. 209.

[9] 1993 (5) एसएलआर 601।

गईं। यदि अन्य रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से भी उसी सूची को बनाए रखा जाना है, तो यह स्वाभाविक रूप से अन्य उम्मीदवारों के अधिकारों से वंचित करने के समान होगा जो उक्त विज्ञापन और चयन प्रक्रिया के बाद पात्र हो सकते थे।

18. *बिजेंदर सिंह* बनाम *हरियाणा राज्य*[10], इस न्यायालय की एक पूर्ण पीठ ने माना है कि एक चयन एजेंसी विज्ञापन की तारीख पर उपलब्ध पदों से अधिक उम्मीदवारों का चयन नहीं कर सकती है और उम्मीदवारों का केवल एक छोटा प्रतिशत या जैसा कि सरकार द्वारा वांछित हो, को प्रतीक्षा सूची में रखा जा सकता है ताकि किसी आकस्मिकता से निपटा जा सके जहां चयनित उम्मीदवार शामिल नहीं हो सकते हैं या जहां चयनित उम्मीदवार सत्यापन पर अनुपयुक्त पाए गए थे। उनके पूर्ववृत्त या शारीरिक परीक्षण पर।

19. उपर्युक्त संदर्भित निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, यह माना जाना चाहिए कि बोर्ड ने 11 विज्ञापित रिक्तियों के लिए 28 उम्मीदवारों की सूची तैयार करने में एक स्पष्ट अवैधता की है। याचिकाकर्ता के वकील ने सरकार के किसी भी नियम या आदेश को रिकॉर्ड पर नहीं रखा है जो बोर्ड को एक चयन सूची तैयार करने के लिए अधिकृत करता है जो विज्ञापित रिक्तियों से लगभग 200 गुना अधिक थी। इसलिए, अवैध रूप से तैयार चयन-सूची के आधार पर, याचिकाकर्ता नियुक्ति के किसी भी अधिकार का दावा नहीं कर सकता है और वह भी चयन-सूची तैयार होने के 12 साल से अधिक की अवधि के बाद। सहायक खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारियों के संवर्ग में 1982 के बाद उपलब्ध पदों/रिक्तियों के संबंध में, वे सभी जो स्नातक उत्तीर्ण करके पात्र हो गए थे और जिनके पास मैट्रिक मानक की हिंदी का ज्ञान था, ने चयन के लिए विचार किए जाने का अधिकार प्राप्त किया। ऐसे सभी व्यक्तियों का अधिकार पराजित

---

[10] 1994 (3) पी.एल.आर.

हो जाएगा यदि हम वर्ष 1995 में निकट अतीत में उपलब्ध रिक्ति के खिलाफ याचिकाकर्ता की नियुक्ति के लिए निर्देश देते हैं। *आशा कौल* बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (सुप्रा) सुप्रीम कोर्ट का फैसला *मदन लाल* बनाम जम्मू कश्मीर मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा पर विचार किया गया है और प्रतिष्ठित किया गया है। उस मामले में आयोग ने 20 उम्मीदवारों की सूची भेजी है। सरकार ने उस सूची के एक भाग को अनुमोदित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के लॉर्डशिप ने कहा कि सरकार सूची में से उम्मीदवारों को चुन और चुन नहीं सकती है, सिवाय ऐसे मामले में जहां उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि खराब पाई जाती है। हालांकि, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को राहत नहीं दी थी क्योंकि जिस उम्मीदवार का नाम वेटिंग लिस्ट में उच्च स्थान पर शामिल था, उसे कोर्ट से राहत नहीं मिली थी।

20. उपरोक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, रिट याचिका को खारिज किया जाता है। पार्टियों को अपनी लागत वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

जे.एस.टी

अस्वीकरण :

स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अभिनव गर्ग

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी

फ़रीदाबाद, हरियाणा